न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 54/2019

1 रामकरण पुत्र लेखुराम
2 दीपाराम पुत्र गुमानाराम
3 बजरंग पुत्र गुमानाराम
4 हरलाल पुत्र गुमानाराम
5 जगदीश प्रसाद पुत्र घड़सीराम
6 रघुवीर पुत्र घड़सीराम
7 प्रभूराम पुत्र लेखुराम
8 मुकेश पुत्र लालचन्द
9 राजेन्द्र पुत्र लालचन्द
10 श्रवणी पत्नी लालचन्द
11 शिशपाल पुत्र लेखुराम
12 बजरंग पुत्र मालाराम
13 बनवारीलाल पुत्र मालाराम
14 बीरबल पुत्र मालाराम
15 भगवान सिंह पुत्र मालाराम
16 मोहनलाल पुत्र मालाराम
17 अमरसिंह पुत्र भानीराम
18 जीवणी पत्नी भानीराम
19 किरण पत्नी लच्छुराम
20 प्रताप पुत्र मूलाराम
21 बोयतराम पुत्र रामलाल
22 श्रीचन्द पुत्र रामलाल
23 ओमप्रकाश पुत्र मामराज
24 रूकमणी पत्नी मामराज
25 रणवीर पुत्र मामराज
26 ताराचन्द पुत्र मालाराम

ADL

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

27 चुन्नीलाल पुत्र मालाराम
28 दयानन्द पुत्र मालाराम
29 अमर सिंह पुत्र सुखाराम
30 किस्तुरी पत्नी सुखाराम
31 रामुराम पुत्र बेगाराम
समस्त जातिगण जाट, निवासीगण ढाणी बुरड़कान कालियासर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 महावीर पुत्र भूराराम
2 श्रवण कुमार पुत्र गुमानाराम
3 दयाचन्द पुत्र भुराराम
4 कृष्ण पुत्र ओमप्रकाश
5 विजेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश
6 मायावती पत्नी ओमप्रकाश
7 दयाकोर पत्नी हरचन्द
8 रामसिंह पुत्र हरचन्द
9 कैलाश पुत्री लच्छुराम
10 प्रकाश पुत्र मोटाराम
11 प्रमोद पुत्र लच्छुराम
12 पवन पुत्र लच्छुराम
13 मंजू पुत्री लच्छुराम
14 रामनिवास पुत्र भानीराम

ADL

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
अतिरिक्त राजस्व अपील अधिकारी
(झुन्झुनूं)

15 शारदा पुत्री भानीराम
16 कमलेश पुत्र मामराज
17 विद्याधर पुत्र मालाराम
18 भंवर सिंह पुत्र सुखाराम
समस्त जातिगण जाट, निवासीगण ढ़ाणी बुरड़कान कालियासर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू (राज.)
19 बैंक ऑफ बडौदा मलसीसर, जरिये शाखा प्रबन्धक, मलसीसर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू (राज.)
20 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, जाबासर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू (राज.)
21 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, मलसीसर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू (राज.)
22 बैंक ऑफ बडौदा, जरिये शाखा प्रबन्धक, चुरू तहसील व जिला चुरू (राज)
23 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत सेक्शन 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांकित 02.07.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.) बमुकदमा उनवानी रामकरण वगैरह बनाम महावीर वगैरह प्रार्थना पत्र अ.धा. 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुं.नं. 34/2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (राजस्थान)

उपस्थिति :

1. श्री कुलदीप सिंह बुगालिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह भाम्बू, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—24-1-24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 34/2019 में पारित निर्णय दिनांक 02.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 367/42 में से रास्ता चाहा गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रार्थी अपीलांट का आवेदन तो स्वीकार कर लिया किन्तु अपीलान्ट द्वारा मौके पर अवस्थित एवं चाहे गये रास्ते के विपरित रास्ता स्वीकृत कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 362/43, 361/43, 367/42, 42, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 29, 30, 31, 32, 33, 25, 26, 27, 40, 41 वाके ग्राम जालिमपुरा, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू में अवस्थित है। उक्त भूमि में अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है व काश्त करते है एवं उसी अनुसार उपयोग करते है तथा अपने पूर्वजों के समय से पूर्व से ही करते आ रहे है। उपरोक्त भूमि में से निकलने वाले कदीमी रास्ते को अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस द्वारा अपने पूर्वजों के समय से ही काम में लिया जाता रहा है। उक्त रास्ते को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 महावीर ने अपने कब्जे काश्त की भूमि खसार नं. 367/42

Adl
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
[illegible] अपील अधिकारी
[illegible]

में अवरूद्ध कर दिया व रास्ते के उपयोग उपभोग से अपीलान्टस व अन्य रेस्पोडेन्टस को वंचित कर दिया। इस कारण अपीलान्टस द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अं. धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके मु.नं. 34/2019 है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अपीलान्टस व अन्य रेस्पोडेन्टस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देकर उनके उपयोग उपभोग के रास्ते को अन्यत्र स्थान से रास्ता कायम करने का दिनांक 02.07.2019 को आदेश पारित कर दिया गया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर व बिना न्यायिक प्रकिया अपनाये उपरोक्त आदेश पारित किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का दिनांक 30.06.2019 को ही स्थानान्तरण हो गया था उसके बावजूद पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायिक प्रकिया व अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये अपीलान्टस को नुकसान कारित करने के लिये आदेश जैर बहस अनुचित रूप से पारित किया गया था जो आदेश अपास्त किया जाना उचित व न्यायोचित है। अधिनस्थ न्यायलय द्वारा मौका रिपोर्ट व बिना मौके की वस्तुस्थिति की जांच किये आलौच्य आदेश पारित किया गया था। जबकि मौके पर रास्ता विद्यमान है व अपीलान्टस व अन्य रेस्पोडेन्टस द्वारा वर्तमान में व अपने पूर्वजों के समय से ही उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग किया जाता रहा है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्टस 1 को नाजायज लाभ पंहुचाने के लिये उपरोक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो कानूनी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील में स्पष्ट रूप से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सम्पूर्ण तथ्य स्पष्ट रूप से दर्ज कर आलौच्य आदेश को खारिज किये जाने की सिद्धि चाही गई है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त कर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस की ओर से वर्तमान अपील उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के मुकदमा उनवानी रामकरण वगैरह बनाम महावीर वगैरह मुं.नं. 34/2019 आवेदन पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय दिनांक 02.07.2019 के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा में पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टस की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम जालिमपुरा पटवार हल्का कालियासर में खसरा नम्बर 363/43, 361/43, 367/42, 42, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 29, 30, 31, 32, 33, 25, 26, 27, 40, 41 अवस्थित जिसमें में एक कथित रास्ता 362/43, 361/43, 367/42, 42, 108, 110, 111, 113, 114, 115 से होते हुये खसरा नम्बर 32 व 29 की सीमा तक जाता है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है खसरा नम्बर 362/43 अपीलान्टस संख्या 2 की व खसरा नम्बर 361/43 अपीलान्ट संख्या 1 की भूमि बताई व खसरा नम्बर 367/42 प्रार्थी रेस्पोडेन्ट महावीर की खातेदारी की भूमि बताई। खसरा नम्बर 42 रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की व खसरा नम्बर 108 व 110 अपीलान्ट संख्या 4 व 5 की खातेदारी की भूमि बताई गई। खसरा नम्बर 113, 115 व 33 अपीलान्टस संख्या 1 व 7 लगायत 17 की खातेदारी की भूमि व खसरा नम्बर 114 अपीलान्ट संख्या 12 लगायत 16 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 29, 30, 32 अपीलान्टस संख्या 17 लगायत 22 व रेस्पोडेन्टस संख्या 9 लगायत 15 की खातेदारी की भूमि व खसरा नम्बर 27, 28 व 31 प्रार्थीगण 23 लगायत 28 व अप्रार्थीगण 16 व 17 की व खसरा नम्बर 25 व 26 प्रार्थी 29 लगायत 37 व अप्रार्थी संख्या 18 की खातेदारी की भूमि बताई गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खेत खसरा नम्बर 367/42 में अवरोध कारित करना बताया गया अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कटानी रास्ता देने से इन्कार करना ओर अपने खेत में घुसने से मना करना इत्यादि तथ्य दर्ज किये। उक्त तथाकथित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की प्रार्थना की गई। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत उक्त 251 ए राजस्थान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी

काश्तकारी अधिनियम 1955 के आवेदन पत्र का सार यह है कि अपीलान्टस द्वारा मूल रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 367/42 में से तथाकथित रास्ता जो कभी भी प्रचलन में अस्तित्व में नहीं रहा को क्लेम किया गया है। अपीलान्टस की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र का विस्तृत जवाब प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 महावीर की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त तथाकथित रास्ता होने के तथ्य से इन्कार किया गया तथा यह दर्ज किया कि अपीलान्टस जबरदस्ती लठ के बल पर अप्रार्थी संख्या की जमीन में कटानी रास्ता न होते हुऐ भी प्रार्थी महावीर की जमीन को खराब करने पर तुले हुये है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 18 आपस में मिले हुये है। प्लीडिग्स से यह तथ्य दर्शित भी हो रहा है, 251 ए का प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने से खारिज करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता होना भी बताया तथा यह भी तथ्य दर्ज किया कि यदि न्यायालय प्रार्थना पत्र स्वीकार करे तो अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 367/42 में से उत्तरी व पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 10 फुट रास्ता देने को तैयार है दशार्ते प्रार्थीगण कृषि भूमि के बदले भूमि या डी एल सी रेट की दुगुनी राशि देवे। अन्त में आवेदन पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। इसके बाद उक्त प्रकरण में तहसीलदार मलसीसर द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 24.06.2019 को प्रस्तुत हुई जिसके मुताबिक खसरा नम्बर 367/42 में कोई कटानी रास्ता नहीं है। इस प्रकार तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करे तो खसरा नम्बर 367/42 में कोई कटाण का रास्ता नहीं है। अपीलान्टस की ओर से गलत तथ्य दर्ज करके उक्त आवेदन पत्र पेश किया गया था जो खारिज होने योग्य था। इसके बावजूद योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने न्यायिक साक्ष्य के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए 151.5 मीटर लम्बा व 3 मीटर चौड़ा रास्ता अपीलान्टस को प्रार्थी के उक्त खेत खसरा नम्बर 367/42 की उत्तरी व पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे कायम करने का आदेश पारित किया है तथा अपीलान्टस को रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अन्यथा डी एल सी रकम की दुगना जमा कराने का निर्णय पारित किया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय को कतई अविधिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। जमीन के बदले जमीन या डी एल सी रेट की दोगुना राशि न देनी पडे इसलिए वर्तमान अपील पेश की गई है जो खारिज होने योग्य है। अपीलान्टस ने वर्तमान अपील की मद संख्या 2 में अपने आपको खसरा नम्बर 367/42 भूमि का खातेदार होना काबिज होना भी गलत दर्ज किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा प्रस्तुत 251 ए के आवेदन पत्र में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि का खातेदार काबिज काश्तकार बताया गया। अपीलान्टस अपने द्वारा पूर्व में किये गये कथनों से पूर्णतया विबन्धित है। वर्तमान अपील में तथाकथित रास्ता का उपयोग पूर्वजो के समय से किया जाना भी गलत दर्ज किया है उक्त आशय की कोई भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार भी मौजूदा अपील खारिज होने योग्य है। अपीलान्टस की ओर से अधिनस्थ राजस्व न्यायालय में 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके मुताबिक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 367/42 में से तथाकथित रास्ता मांगा गया था। इसके अलावा धारा 251 ए के तहत किसी भी तथाकथित सुखाधिकार की न तो उपधारणा की जा सकती है न ही ऐसे किसी तथाकथित सुखाधिकार के बाबत राजस्व न्यायालय को निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार है। इस प्रकार भी अपील खाारिज होने योग्य है। वर्तमान अपील में अपीलान्टस ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा खसरा नम्बर 367/42 को काश्त करना व काबिज होना बताया है। स्वीकृत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा, न ही राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि में कोई कटान का रास्ता रहा है और स्वीकृत तौर से अपीलान्टस द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कब्जा काश्त खातेदारी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 367/42 में से रास्ता चाहने हेतु धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का आवेदन पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
अपील अधिकारी

किया है और अपीलान्टस को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 367/42 में सशर्त रास्ता दिये जाने का निर्णय पारित किया है जिसे चेलेंज करने का अपीलान्टस को अब कोई लोकस स्टेण्डडाई नही रहता इस कारण अपील अपीलान्टस खारिज होने योग्य है। स्वीकृत तौर से अपीलान्टस द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में धारा 251 ए का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अवलोकन किया जावे जिसके मुताबिक खातेदार को अन्य खातेदारो की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से जल लेने या अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाने का विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का प्रावधान है। यानि उक्त धारा खातेदार को किसी अन्य खातेदार की जोत में से नया रास्ता बनाने का विद्यमान रास्ता को विस्तारित करती है। वर्तमान आवेदन पत्र 251 ए से अपीलान्टस पूर्णतया विबन्धित है अब पश्चातवर्ती प्रक्रम पर वे उक्त तथाकथित रास्ता बताकर सुखाधिकार क्लेम नही कर सकते और न ही ऐसा कथित सुखाधिकार रेवेन्यू कोर्ट ग्रान्ट कर सकता है इस प्रकार भी अपील खारिज होने योग्य है। लादूराम बनाम राज्य आरआरडी 1367 पृष्ट 28 में न्यायालय ने यह विनिश्चित किया है कि यह धारा सार्वजनिक मार्गो पर लागू न ही होती केवल व्यक्तिगत रास्ते के अधिकारों पर लागू है। आरआरडी 1968 पेज 567 जब व्यक्तिगत रास्तों पर रूकावट आती है तो ही यह धारा प्रभाव में लाई जा सकती है। इसी प्रकार आरआरडी 1975 पेज 461 यदि आराजी जेर बहस आम रास्ते के काम आती हो तो उस पर धारा 251 के प्रावधान लागू नही होते। इसी प्रकार आरआरडी 1975 पेज 535 धारा 251 केवल उस सूरत में लागू होती है जब विद्यमान अधिकारों से रूकावट आती है यह धारा नये अधिकारों को पैदा नहीं कर सकती है। इस प्रकार स्पष्ट तौर से अपीलान्टस द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 महावीर की कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 367/42 में से रास्ता मांगा गया इस हेतु उनकी ओर से अधिनस्थ न्यायालय में 251 ए का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

ADL
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

के दायरे में ही रहकर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 02.07.2019 पारित किया है। जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अपील अपीलान्टस खारिज होने योग्य है। अतः लिखित बहस पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस मय खर्चा खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण धारा 251 ए का है। इस प्रकरण में मुख्य रूप से विवाद खसरा नम्बर 367/42 को लेकर है। खसरा नम्बर 367/42 का खातेदार महावीर सिंह पुत्र भूराराम है। खसरा नम्बर 367/42 में मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रचलित रास्ते की दूरी 105 मीटर है ओर यह रास्ता खसरा नम्बर 367/42 को दो भागों में विभक्त करता है। आवेदनकर्ता एवं शेष पक्षकारान महावीर सिंह को छोड़कर इस प्रचलित रास्ते को कटान में करवाना चाहते है। इसके विपरित खातेदार महावीर सिंह द्वारा सीमा के सहारे सहारे रास्ता देने पर सहमति दी गई है इस रास्ते की दुरी 151.5 मीटर है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से सीमा के सहारे–सहारे 151.5 मीटर का रास्ता दिया गया है। इसी से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों में मुख्य विवाद इसी बिन्दु को लेकर है।

जहां तक विधि का प्रश्न है धारा 251 ए में सुविधा के अनुसार रास्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं है अपितु निकटतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 367/42 के मध्य में से पूर्व से प्रचलित रास्ता अवस्थित है। यह रास्ता निकटतम दूरी 105 मीटर का है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के विपरित, मौका रिपोर्ट के विपरित खसरा नम्बर 367/42 में से सीमा के सहारे–सहारे 151.5 मीटर का रास्ता देकर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय के निर्णय में दिये गये शेष रास्ते के संदर्भ में

BDL

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

पक्षकारों में विवाद नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में खसरा नम्बर 367/42 के संदर्भ में पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। खसरा नम्बर 367/42 में मौका रिपोर्ट के अनुसार निकटतम रास्ता 105 मीटर का राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर कायम करने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार 105 मीटर लम्बे एवं 3 मीटर चौड़े रास्ते की डीएलसी की दुगुनी राशि की गणना कर अपीलांट से प्राप्त करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 24-1-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सींकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)